

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली - दिशानिर्देश

यह निर्णय लिया गया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न पोर्टफोलियो में प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र प्रणाली के भाग के रूप में परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए। उल्लिखित दिशानिर्देश सभी बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं, चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों /रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों। तथापि, प्रारंभ में (उपकरण पट्टे पर देने वाली, किराया खरीद वित्त, ऋण, निवेश और अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यों में संलग्न या उस रूप में वर्गीकृत) एवं 31 मार्च 2001 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार ` 100 करोड़ की परिसंपत्तियों के आकार वाली (चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों/जनता की जमाराशियाँ रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों) या ` 20 करोड़ या उससे अधिक की जनता की जमाराशियों की धारक होने (भले ही उनकी परिसंपत्तियों का आकार कुल पूंजी क्यों न हो) के मानदण्ड पूरे करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करनी है।

इस संबंध में अर्द्ध वार्षिक सूचना देने की प्रणाली शुरू की गयी और पहली परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन विवरणी 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार एक माह के भीतर अर्थात् 31 अक्टूबर 2002 से पूर्व एवं तदुपरांत उसी प्रकार केवल उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी थीं जो जनता की जमाराशियों की धारक हैं। अर्द्ध वार्षिक विवरणियों में निम्नलिखित तीन भाग शामिल होंगे :

- (i) एएलएम फार्मेट में विन्यासगत चलनिधि का विवरण
- (ii) एएलएम फार्मेट में अल्पावधि गतिशील चलनिधि का विवरण
- (iii) एएलएम फार्मेट में ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण

जनता की जमाराशियाँ न रखने वाली कंपनियों के मामले में पृथक पर्यवेक्षी व्यवस्था की जाएगी और उसे यथासमय सूचित किया जाएगा।

(27 जून 2001 के परिपत्र गैर्बैपवि. (नीति प्र) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में रखी जमाराशियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख (QB)के अंतर्गत, नामांकन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.एक्ट) की धारा 45य क के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। नियमों की एक प्रति संलग्न की गई थी। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म जैसे फार्म में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

(28 जुलाई 2003 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 27/02.05/2003-2004 में ब्योरे दिए गए हैं)

चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सांविधिक

चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 झ ख के उपबंधों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को चल परिसंपत्तियां सरकारी प्रतिभूतियों/गारंटीशुदा बांडों के रूप में रखने की अपेक्षा है और ऐसी प्रतिभूतियों को किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में ग्राहकों के सहायक सामान्य लेज़र खाते में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत किसी निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में अमूर्त खाते में अथवा जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों को अभी अमूर्त स्वरूप दिया जाना हो उस सीमा तक किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की किसी शाखा में रखने की अपेक्षा है ।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने हेतु "ग्राहक के सहायक सामान्य लेज़र खाते" या अमूर्त खाते को बनाए रखा जाएगा जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झ ख के अनुपालनार्थ धारित प्रतिभूतियों को रखा जाएगा। जनता की जमाराशियों में वृद्धि या कमी होने पर प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या प्रतिभूति की परिपक्वता(अवधिपूर्णता) पर नकदीकरण के लिए या विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को चुकौती के लिए इस खाते का उपयोग किया जाना चाहिए तथा इस खाते का प्रयोग रिपो या अन्य लेन-देन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित) उल्लिखित पैराग्राफ में अनुमत से भिन्न तरीके की सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन(सौदा) करती है तो उसे एतदर्थ एक दूसरा सीएसजीएल खाता खोलना होगा।

यह देखा गया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने या तो सरकारी प्रतिभूतियों को अमूर्त स्वरूप प्रदान नहीं किया है या उनको अमूर्त स्वरूप प्रदान कर दिया है, परंतु उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को देने में असमर्थ रही हैं। इस प्रयोजन के लिए, तिमाही चल परिसंपत्ति विवरणी -एनबीएस-3 और एनबीएस-3 ए के सूचना देने के फॉर्मेटों में संशोधन किया गया है ताकि अमूर्त खाते (डिमैट खाते) के संबंध में सूचना शामिल की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उपर्युक्त सूचना देने में चूक न हो।

यह भी संभव है कि कुछ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां / सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड हों, जिन्हें अमूर्त नहीं कराया गया हो और जो कागजी रूप में हों जिन्हें नामनिर्दिष्ट बैंक से ब्याज के संग्रहण हेतु सुरक्षित अभिरक्षा से आहरित किया जाता हो और ब्याज संग्रहण के बाद उक्त बैंक में उन्हें पुनः जमा कर दिया जाता हो। उक्त प्रतिभूतियों को आहरित करने और पुनः बैंक में जमा करने की प्रक्रिया से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ कागजी रूप में रखी हुई इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज के संग्रह और उन्हें पुनः अभिरक्षा में रखने के लिए नामनिर्दिष्ट बैंक/कों को एजेंट/टों के रूप में प्राधिकृत करेंगी ताकि ये बैंक इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज संग्रह कर लें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ अपने नामनिर्दिष्ट बैंक से संपर्क करें और नामनिर्दिष्ट बैंक के पक्ष में मुख्तारनामा दें ताकि वे कागजी रूप में रखी प्रतिभूतियों/रखे गारंटीकृत बांडों पर नियम तारीख/खों को ब्याज संग्रहीत कर सकें।

(31 जुलाई 2003 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 28/02.02/2002-2003 तथा 17 मई 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 37/02.02/2003-2004 में ब्योरे दिए गए हैं)

जनता की जमाराशियां स्वीकार न करने वाली श्रेणी में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त शर्त के रूप में न्यूनतम ₹ 200 लाख की निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा

21 अप्रैल 1999 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 132/ सी जी एम (वी एस एन एम)- 99 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली नई कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा बढ़ा कर ₹

200 लाख कर दी गई। जनता की जमाराशियां स्वीकार न करने वाली श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यदि जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करना चाहें तो उसकी पात्रता के लिए वे ₹ 200 लाख की न्यूनतम पूंजी की अपेक्षा को पूरी करें।

(24 जुलाई 2004 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 42/02.59/2004-2005 में ब्योरे दिए गए हैं)

विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेश - प्रति वर्ष 31 मार्च को तुलन-पत्र तैयार करना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 9-ख के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को प्रति वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करना है। जब कभी किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इस प्रयोजन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पहले उसे भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलो में भी जहां भारतीय रिज़र्व बैंक और कंपनी रजिस्ट्रार समय विस्तार की मंजूरी देते हैं, कंपनी को उस वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (गैर लेखा-परीक्षित) और उपर्युक्त तारीख को नियत सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(10 अगस्त 2004 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 43/05.02/2004-2005 में ब्योरे दिए गए हैं)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-झक(IA) के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र -गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार जारी रखना - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना - स्पष्टीकरण

यह देखा गया है कि ऐसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं जो अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में नहीं लगी हैं और इसलिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता नहीं है/की पात्र नहीं हैं, किन्तु वे फिर भी उसे अपने पास रखे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ही इन्हें अपने पास रखें जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी हैं, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी हैं और इसलिए

उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार का तात्पर्य किसी कंपनी का ऐसे वित्तीय कार्य में लगा होना है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I(a) में अंतर्विष्ट हैं। इस प्रयोजन के लिए 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति सं. 1998-99/1269 में दी गई "प्रधान कारोबार की परिभाषा" का अनुकरण किया जाए।

(21 सितंबर 2006 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 79/03.05.002/2006-2007 एवं 19 अक्टूबर 2006 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 81/03.05.002/2006-2007 में ब्योरे दिए गए हैं)

हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। संशोधित दिशानिर्देश, 2 अप्रैल 2004 से प्रभावी हैं।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को संबोधित 11 मई 2005 के परिपत्रों सं.आइडीएमडी.पीडीआरएस. 4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 का अवलोकन करें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

(11 जून 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 38/02.02/2003-2004 एवं 9 जून 2005 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 49/02.02/2004-2005 में ब्योरे दिए गए हैं)

नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन होने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा शाखा/कार्यालय बंद करने, (ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा स्वामित्व के बिक्रय/अंतरण के बारे में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करने की आवश्यकता

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में इस आशय की नोटिस, जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध सहित देंगी।

(ख) (i) शेयरों की बिक्री से स्वामित्व के बिक्रय या अंतरण या नियंत्रण का अंतरण चाहे वह शेयरों की बिक्री से हो या बिना बिक्री के, उसके प्रभावी होने से 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस दी जाएगी। ऐसी सार्वजनिक नोटिस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा दी जाएगी तथा अंतरक, या अंतरिती या संबंधित दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

इस प्रयोजन के लिए "नियंत्रण" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भारी मात्रा में शेयरों का अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमावली, 1997 के विनियम 2(1)(ग) में दिए गए तात्पर्य से है।

(ii) सार्वजनिक नोटिस में स्वामित्व/नियंत्रण के बिक्रय या अंतरण का अभिप्राय, अंतरिती के ब्योरे और स्वामित्व/नियंत्रण के ऐसे बिक्रय या अंतरण के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। सार्वजनिक नोटिस एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा/कार्यालय आता हो) में प्रकाशित की जानी चाहिए।

प्रबंधन में परिवर्तन तथा विलयन / समामेलन

यह भी देखा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर वित्तीय कंपनी के साथ समामेलन/विलयन से भी होता है, इस प्रकार इन विलयनों/समामेलनों का परिणाम भी उक्त प्रबंधन परिवर्तन में होगा।

प्रबंधन में परिवर्तन या किसी कंपनी में विलयन या समामेलन चाहने वाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक जमाकर्ता को यह निर्णय लेने का विकल्प दे कि कंपनी के नए प्रबंधन या अंतरिती कंपनी के तहत वह जमाराशियाँ चाहे तो जारी रखे या न रखे। कंपनी का यह भी दायित्व होगा कि वह अपनी जमाराशियों का भुगतान चाहने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करे।

उक्त अनुदेशों के अनुपालन न करने को बैंक गंभीरता से लेगा और चूककर्ता कंपनी के खिलाफ मामले के गुण-दोषों के आधार पर बैंक दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

उल्लिखित अनुदेशों में जनवरी 2006 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

(i) उच्च न्यायालय के आदेश से विलयन और समामेलन

(क) जहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के अनुसरण में उच्च न्यायालय के आदेश से विलयन और समामेलन होता है, वहाँ कंपनी न्यायालय के आदेश की तारीख से एक माह के अंदर विलय और समामेलन को अनुमोदित करने के न्यायालय के आदेश के साथ रिजर्व बैंक को सूचित करेगी। चूँकि कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम एवं उसके तहत बनी नियमावली के अंतर्गत इस संबंध में पहले से सार्वजनिक नोटिस देनी होती है, अस्तु अब इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनियों को रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में सार्वजनिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथापि, 13 जनवरी 2000 के हमारे कंपनी परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग)कंपरि सं./ 12/02.01/99-2000 के पैराग्राफ सं. 5(iii) (ख) में अंतर्विष्ट अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

(ii) अन्य मामले

जहाँ उक्त उप पैराग्राफ (i) में वर्णित मामले से भिन्न कंपनी का विलय और समामेलन या उसके प्रबंधन में बिक्री/अंतरण से परिवर्तन होता है वहाँ (जमा राशियाँ स्वीकारने वाली और न स्वीकारने वाली) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जिनमें अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ शामिल हैं) इस संबंध में 30 दिन पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगी।

(15 नवंबर 1999 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.11/02.01/99-2000, 13 जनवरी 2000 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.12/02.01/99-2000, 24 जनवरी 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.63/02.02/2005-2006 तथा 27 अक्टूबर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.82/03.02.02/2006-2007)

**सार्वजनिक जमाराशियाँ(निक्षेप) के लिए कवर-जमाराशियाँ स्वीकारने वाली
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चल परिसंपत्तियों पर चल प्रभार का सृजन(क्रिएशन)**

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने परिचालनों के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे जनता से जमाराशियाँ, बैंकों से उधार, अंतर-कंपनी जमाराशियाँ, सुरक्षित/असुरक्षित डिबेंचरों आदि के द्वारा निधियों को जुटाती हैं।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए हमेशा पूर्ण कवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कवर की गणना करते समय सभी (सुरक्षित/असुरक्षित) डिबेंचरों की कीमत तथा सभी वाह्य देयताओं, जो जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं से भिन्न हों, को कुल परिसंपत्तियों में से घटा दिया जाए। इसके अलावा, एतदर्थ परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य या वसूलनीय/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर आंका जाए। संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्तानुसार आकलित परिसंपत्तियाँ यदि जनता की जमाराशियों के प्रति देयताओं को कवर करने से कम हों तो वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे। जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/जमाराशियों की धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिया गया था कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के अनुसार निवेशित सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। कंपनी अधिनियम 1956 के आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे प्रभार स्पष्ट पंजीकृत होने चाहिए।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर बहुसंख्यक जमाकर्ताओं के पक्ष में प्रभार सृजित करने में व्यक्त की गई व्यावहारिक कठनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय बाद में लिया गया कि जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/जमाराशियों की धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख एवं समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रखी गई सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर "ट्रस्ट विलेख" क्रियाविधि से अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें।

(7 फरवरी 2005 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 47/02.01/2004-2005 एवं 4 जनवरी 2007 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 87/03.02.004/2006-2007 में ब्योरे दिए गए हैं)

कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज) संघ(FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कारपोरेट बांड लेन-देनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ को अपना रिपोर्टिंग प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति दी है। यह भी अधिदेश दिया गया है कि इस प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किए गए कारोबार/ ट्रेड का योग किया जाए साथ ही बीएसई तथा एनएसई पर रिपोर्ट किए गए कारोबार को समुचित रूप में प्रभावी बनाकर उन्हें भी रिपोर्ट किया जाए।

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ओवर दि काउंटर मार्केट - कार्पोरेट बांड- सेकंडरी बाजार में किए गए लेनदेनों को फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर 1 सितंबर 2007 से रिपोर्ट करें। इस विषय पर परिचालन संबंधी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत फिमडा द्वारा जारी किए जाएंगे। तब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नमूना रिपोर्टिंग-अभ्यास के लिए फिमडा से सीधे संपर्क करें।

(31 जुलाई 2007 के परिपत्र गैर्बैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 105/03.10.001/2007-2008 में ब्योरे दिए गए हैं)

अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" की राष्ट्रीय सूची(नेशनल इ नॉट कॉल रजिस्ट्री)

दूर संचार माध्यमों का उपयोग करके वाणिज्यिक कारोबार करने या बढ़ाने हेतु एजेंटों/व्यवसाय परिचालकों को बाहर से करवाने (आउटसोर्स बिजनेस आपरेशन्स) का व्यवहार भारत में उभर रहा है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि आम लोगों के निजी (प्राइवेट) के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाए और सर्वोत्तम व्यवसाय व्यवहार (के भाग) के रूप में ग्राहकों/ग्राहकेतर लोगों को आने वाले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण पर, शिकायतों को कम करने के लिए, रोक लगायी जाए।

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण को रोकने के लिए दूर संचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियमन ("दि टेलीकाम अनसालिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स (यूसीसी) रेगुलेशन,) बनाया है। इसके अलावा, दूर संचार विभाग (DoT) ने 6 जून 2007 को टेलीमार्केटर्स को संबंधित दिशानिर्देश के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी की है। इन दिशानिर्देशों से टेलीमार्केटर्स को दूर संचार विभाग (DoT) या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि टेलीमार्केटर्स अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के संबंध में दूर संचार विभाग द्वारा जारी

दिशानिर्देशों तथा आदेशों/निर्देशों एवं ट्राई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि ट्राई की वेबसाइट (www.traai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि:

i) वे ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो;

ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, वे दूर संचार विभाग (DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमार्केटर्स के रूप में करवा लें।

(26 नवंबर 2007 के परिपत्र गैरबैंकिंग वि. नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 109/03.10.001/2007-2008)

जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ₹ 200 लाख की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा

मार्गदर्शी सिद्धांतों के निरूपण में बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले परामर्शी रुख के तहत जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि करने संबंधी परिपत्र का प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर 21 मई 2007 को रखा गया था।

इस संबंध में प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार किया गया था। जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियाँ न्यूनतम ₹ 200 लाख तक धीरे-धीरे, बिना रुकावट एवं अविभेदी तौर पर बढ़ा कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है कि:

(ए) ₹ 200 लाख से कम की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा धारित जमाराशियों को, पहले कदम के रूप में, मौजूदा स्तर पर रोक दें।

(बी) इसके अलावा, न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग एवं 12% CRAR वाली परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के डेढ़ गुने तक ले आएँ जबकि अन्य कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर 31 मार्च 2009 को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के स्तर के बराबर ले आएँ।

(सी) ऐसी कंपनियाँ जो वर्तमान में कतिपय स्तर तक जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने की पात्र हैं किन्तु जिन्होंने, किन्हीं कारणों से, उस स्तर तक जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की हैं, उन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट संशोधित सीमा/स्तर तक जनता से राशियाँ स्वीकार करने की अनुमति होगी।

(डी) ₹ 200 लाख की निवल स्वाधिकृत निधियों का स्तर प्राप्त करने पर कंपनियाँ उन्हें प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(ई) विनिर्दिष्ट समय सीमा में निर्दिष्ट स्तर न प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उचित छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करें, जिन पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

(17 जून 2008 के परिपत्र गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 114/03.02.059/2007-2008 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनर्वर्गीकरण

6 दिसंबर 2006 के कंपनी परिपत्र सं. गैर्बैपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 85/03.02.089/ 2006-07 में यह सूचित किया गया था कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो उत्पादक/आर्थिक गतिविधि के लिए स्थावर (रियल)/भौतिक (फिजिकल) परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में लगी हैं उन्हें उक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, प्रस्तावित ढांचे में उनके निम्नलिखित वर्ग उभरे/बने हैं:

- (i) परिसंपत्ति वित्त कंपनी
- (ii) निवेश कंपनी
- (iii) ऋण कंपनी

तदनुसार, यह सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करने वाली कंपनियाँ बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति के साथ परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में मान्यता के लिए हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता है। अपने अनुरोध पत्र के साथ कंपनियाँ 31 मार्च 2006 को उनकी परिसंपत्ति/आय पैटर्न का उल्लेख करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें।

चूंकि परिपत्र जारी हुए काफी समय बीत गया है, अस्तु यह निर्णय लिया गया है कि उपकरण पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियाँ 31 मार्च 2008 को उनकी परिसंपत्ति/आय पैटर्न का उल्लेख करने वाले सांख्यिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ उचित वर्गीकरण के लिए हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तुरंत किन्तु अधिकतम 31 दिसंबर 2008 तक संपर्क करें, उसके बाद इस वर्गीकरण के लिए विकल्प का उपयोग न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण कंपनी माना जाएगा।

(6 दिसंबर 2006 के परिपत्र गैर्बैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 85/03.02.089/2006-2007 एवं 15 सितंबर 2008 के परिपत्र गैर्बैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 128/03.02.059/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

**₹ 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु ₹ 100 करोड़ से कम परिसंपत्तियों वाली
जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क**

यह निर्णय लिया गया था कि ₹ 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु ₹ 100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से आधारभूत (बेसिक) सूचना तिमाही अंतराल पर मंगायी जाए। ऐसी पहली विवरणी सितंबर 2008 को समाप्त तिमाही के लिए दिसंबर 2008 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जानी थी। प्रत्येक तिमाही के अंत में यह विवरणी संबंधित तिमाही के अनुवर्ती माह में हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है, ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी थी और ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया बाद में सूचित करने की सूचना दी गयी थी।

जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर ये अनुदेश लागू हैं उन्हें इस संबंध में बाद में यह सूचित किया गया था कि, आनलाइन विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की सूचना मिलने तक, वे उक्त विवरणी की हार्ड एवं साफ्ट कापी (ई-मेल से एक्सेल फॉर्मेट में) संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में संबंधित कंपनी पंजीकृत है।

(24 सितंबर 2008 के परिपत्र गैर्बैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130/03.05.002/2008-2009 एवं 2 मार्च 2009 के गैर्बैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 137/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए
आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार(treatment)

चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:

- आस्थगित कर देयता खातेगत शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

-जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) की गणना सहित सभी विनियामक अपेक्षाओं के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उल्लिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं (DTL) को "अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों (DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से अग्रानीत अगोचर परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

निम्नवत आकलित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा:

(i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (DTA); तथा

(ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां (संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगित कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों (संचित हानियों से संबंधित आस्थगित परिसंपत्तियों को छोड़कर) से अधिक हों, वहाँ

ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

(31 जुलाई 2008 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 124/03.05.002/2008-2009 एवं 9 जून 2009 के गैर्बैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 142/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकार करने वाली)

(अर्जन या नियंत्रण के अंतरण हेतु अनुमति) निदेश, 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण (क्रेडिट) प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु ऐसा करना आवश्यक है, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निम्नवत निदेश देता है।

संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

1. (1) ये निदेश 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकरण) (अर्जन या नियंत्रण के अंतरण हेतु अनुमति) निदेश, 2009 के नाम से जाने जाएंगे।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. इन निदेशों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "नियंत्रण" का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का भारी मात्रा में अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियमावली, 1997 के विनियमन 2 के उप विनियम (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित है।

(बी) "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अर्थ उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (xi) में परिभाषित है।

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अधिग्रहण/के नियंत्रण का अर्जन, चाहे शेयरों के अर्जन से या अन्यथा किया जाए या जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विलयन/समामेलन किसी कंपनी/संस्था के साथ हो या किसी कंपनी/संस्था का जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ विलयन/समामेलन हो, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी।

अन्य विधियों की प्रयोज्यता वर्जित न होना

इस निदेश के उपबंध संप्रति लागू किसी विधि, नियम, विनियमावली या निदेशों के उपबंधों के, अल्पीकारक न होकर, उनके अतिरिक्त होंगे।

छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगर ऐसा समझता है कि किसी समस्या से बचने के लिए या किसी अन्य सही और पर्याप्त कारण से ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी शर्तों के अधीन जो रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा, इन निदेशों के सभी या किसी प्रावधान से, सामान्यतः या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को अनुपालन से छूट दे सकता है। (17 सितंबर 2009 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 208/मुमप्र(ए.एन.आर.)/2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरैस्ट रेट फ्यूचर्स) का प्रारंभ - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. एफएमडी. 1/ ईडी (वीकेएस)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों का अवलोकन करें जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों की ट्रेडिंग की संरचना दी गई है।

यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस बारे में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा ग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त एवं नामित एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदे कर सकती हैं।

ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर संबंधित छमाही की समाप्ति के अनुवर्ती एक माह में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण

विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

(18 सितंबर 2009 के परिपत्र गैर्बैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं. 161/03.10.01/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदण्डों का अनुपालन -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी अर्द्ध वार्षिक प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी अनुमति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों एवं संबंधित शर्तों, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन करना है, भले ही ऐसा निवेश स्वचालित मार्ग या अनुमोदन मार्ग से प्राप्त हुआ हो।

अस्तु इन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मौजूदा शर्तों का अपने द्वारा अनुपालन किये जाने को प्रमाणित करने वाला अपने सांविधिक लेखापरीक्षक का अर्द्धवार्षिक प्रमाणपत्र (सितंबर एवं मार्च को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए) प्रस्तुत करें। ऐसे प्रमाणपत्र संबंधित अर्द्ध वर्ष की समाप्ति के अनुवर्ती एक माह में हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं जिसके अधिकार-क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

(4 फरवरी 2010 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 167/03.10.01/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश-
गै.बैं.प.वि.,भारिबैं. से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना**

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे 7 जुलाई 2004 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) (संशोधन) विनियमावली, 2004 के विनियम 7 का अवलोकन करें जिसके अनुसार भारतीय पार्टी (Indian Party) से अपेक्षित है कि भारत से बाहर की वित्तीय सेवाओं में संलग्न किसी विदेशी कंपनी/संस्था में निवेश करने से पूर्व भारत एवं विदेश दोनों के संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से अनुमति ले। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम(JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(WOS) में प्रत्यक्ष निवेश करने के संबंध में 1 जुलाई 2009 को जारी मास्टर परिपत्र के पैरा बी.5.3 के अनुसार विदेश में

किसी गतिविधियों में निवेश करने वाली वित्तीय क्षेत्र की विनियमित कंपनियों/संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे उक्त विनियम का अनुपालन करें।

ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियामक अनुमति लिए बिना विदेश में निवेश किए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विनियामक अनुमति लिए बिना ऐसे निवेश करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2004 का उल्लंघन है और इस बाबत दण्डात्मक प्रावधान हैं।

इस संबंध में इस बात पर जोर दिया जाता है कि विदेश में निवेश करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे निवेश करने से पूर्व गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" अवश्य लें जिसके अधिकारक्षेत्र में उनका प्रधान कार्यालय पंजीकृत हो।

इस संबंध में किए जाने वाले आवेदनपत्रों में विदेशी कंपनी/संस्था द्वारा अभिप्रेत गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह भी नोट करें कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में जिन गतिविधियों को अनुमोदित नहीं किया गया है, उनमें लगी विदेशी कंपनियों/संस्थाओं में उन्हें प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति उक्त विनियमावली के तहत नहीं है।

(3 मई 2010 के परिपत्र गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 173/03.10.01/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त-शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फलेटों/ब्रोसरो/विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया था जिसमें माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आवास/ भवन निर्माण के लिए वित्तदाता बैंक परियोजनाओं के संबंध में इस बात पर बल दें कि बड़े पैमाने पर जनता को फ्लैट और संपत्ति के क्रय के लिए आमंत्रित करने के संबंध में डेवलपर/स्वामी द्वारा निकाले जाने वाले ब्रोसरो या पैम्फलेटों आदि में प्रश्नगत प्लाट या विकास परियोजना के बारे में यह प्रकटीकरण किया जाए कि अमुक प्लाट या विकास परियोजना पर कोई प्रभार या अन्य देयता निर्मित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह बात उन शर्तों का अंग होगी जिनके तहत बैंक ऋण स्वीकृत करता है।

उल्लिखित परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक समझा गया है कि आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फलेटों/ब्रोसरो/विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था /कंपनी के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फलेटों/ब्रोसरो में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों/संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी, जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करके देंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

(6 मई 2010 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 174/03.10.001/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से
विकलांग /दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना**

हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है.

इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें.

(27 जुलाई 2010 का परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 191/03.10.01/2010-11)

साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण – साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45 झ के खंड (च) में यथा परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार “साख संस्थाओं” में शामिल किया गया है. इसके अलावा साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि मौजूदा प्रत्येक साख संस्था कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य अवश्य बनेगी. तदुसार , साख संस्थाएं होने के कारण सभी

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे संविधि के अनुसार कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें.

2. इस संबंध में साख सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे, साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक साख सूचना संस्था को साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी. इसके अलावा साख सूचना कंपनियों विनियमावली, 2006 के विनियमन 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था:

(क) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसा कि साख तथा साख सूचना कंपनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा

(ख) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन हो, सही हो और पूर्ण हो.

3. इसलिए यह सूचित किया जाता है कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों किसी नई साख सूचना कंपनी/ साख सूचना कंपनियों की सदस्य बन गई है वे उन्हें मौजूदा फार्मेट में वर्तमान आंकड़े उपलब्ध करा दें. ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों उन्हें पुराने आंकड़े भी उपलब्ध कराएं ताकि नई साख सूचना कंपनियों अपने साफ्टवेयरों को मान्य ठहरा सकें और चुस्त-दुरूस्त डाटाबेस विकसित कर सकें. यह सावधानी बरती जाए कि उधार लेने वालों के संबंध में गलत आंकड़े / इतिवृत्त साख सूचना कंपनी को नहीं दिए जाएं.

(17 सितम्बर 2010 का परिपत्र गैरबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 200/03.10.01/2010-11)

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना- कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

27 जुलाई 2010 के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के कंपरि सं: 191/03.10.01/2010-11 में निहित प्रावधानों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सूचित किया गया था कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग / दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाए तथा वे अपनी शाखाओं को भी यह सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव प्रयास करें.

उक्त के क्रम में, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए चलये जाने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में , एक उचित माइयूल्स शामिल करें जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कानूनी तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अधिकार गारंटी शामिल हो. इसके अतिरिक्त , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित शिकायत निवारण पद्धति के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शिकायत का निवारण किया जा रहा है.

(27 जनवरी 2011 का परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 208/03.10.01/2010-11)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

कृपया 07 जुलाई 2004 का विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति अंतरण या जारी करना) (संशोधित) विनियमावली 2004 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार भारतीय पार्टी से यह अपेक्षित है कि भारत के बाहर की वित्तीय सेवाओं में संलग्न किसी विदेशी संस्था में निवेश करने के से पूर्व भारत तथा विदेशी दोनो के संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से अनुमति लें. इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में 1 जुलाई 2009 को जारी मास्टर परिपत्र के पैरा बी.5.3. के अनुसार विदेश में किसी गतिविधियों में निवेश करने वाली वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थानों से अपेक्षित है कि वे उक्त विनियम का पालन करें.

2. इस संबंध में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश-गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना” शीर्षक पर जारी 03 मई 2010 का परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) नं:173/03.10.01/2009-10 का भी संदर्भ ले, जिसमें यह सूचित किया गया था कि विदेश में निवेश करने की इच्छुक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऐसे निवेश करने से पूर्व गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय से “अनापत्ति प्रमाणपत्र” अवश्य लें जिसके अधिकार क्षेत्र में उनका प्रधान कार्यालय पंजीकृत हो.

3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 अक, 45 ट तथा 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी निदेश 14 जून 2011 का अधिसूचना संख्या: डीएनबीएस (पीडी) 229/सीजीएम (युएस)/2011 में शामिल शर्तों के अनुपालन के आधार पर, इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. गहन अनुपालन हेतु अधिसूचना संलग्न है.

(14 जून 2011 का परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 222/03.10.001/2010-11)

परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.11/02.01/99-2000	15 नवंबर 1999
2.	गैबैंपवि.(नीति प्रभाग)कंपरि सं. 12/02.01/99-2000	13 जनवरी 2000
3.	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001	27 जून 2001
4.	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 27/02.05/2003-2004	28 जुलाई 2003
5.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 28/02.02/2002-2003	31 जुलाई 2003
6.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 37/02.02/2003-2004	17 मई 2004
7.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 38/02.02/2003-2004	11 जून 2004
8.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 42/02.59/2004-2005	24 जुलाई 2004
9.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 43/05.02/2004-2005	10 अगस्त 2004
10.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 47/02.01/2004-2005	7 फरवरी 2005
11.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 49/02.02/2004-2005	9 जून 2005
12.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.63/02.02/2005-2006	24 जनवरी 2006
13.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 79/03.05.002/2006-2007	21 सितंबर 2006
14.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 81/03.05.002/2006-2007	19 अक्टूबर 2006
15.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.82/03.02.02/2006-2007	27 अक्टूबर 2006
16.	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 85/03.02.089/2006-2007	6 दिसंबर 2006
17.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 87/03.02.004/2006-2007	4 जनवरी 2007

18.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 105/03.10.001/2007-2008	31 जुलाई 2007
19.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 109/03.10.001/2007-2008	26 नवंबर 2007
20.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 114/03.02.059/2007-2008	17 जून 2008
21.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 124/03.05.002/2008-2009	31 जुलाई 2008
22.	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 128/03.02.059/2008-2009	15 सितंबर 2008
23.	गैबैंपवि.नीति प्रभा.अधिसूचना सं. 208	17 सितंबर 2008
24.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130/03.05.002/2008	24 सितंबर 2008
25.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 137/03.05.002/2008-2009	2 मार्च 2009
26.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 142/03.05.002/2008-2009	9 जून 2009
27.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 167/03.10.01/2009-2010	4 फरवरी 2010
28.	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 168/03.02.089/2009-2010	12 फरवरी 2010
29.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 173/03.10.01/2009-2010	3 मई 2010
30.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 174/03.10.001/2009-2010	6 मई 2010
31.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 191/03.10.01/2010-11	27 जुलाई 2010
32.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 200/03.10.001/2010-11	17 सितम्बर 2010
33.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 208/03.10.01/2010-11	27 जनवरी 2011
34.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 222/03.10.001/2010-11	14 जून 2011

XXXXXX